रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2019/फाल्गुन 24, 1940
No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2019/PHALGUNA 24, 1940

## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

**सं. भा.आ.प.-201/2019-पात्रता/सामान्य/187276**.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, "किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता विनियमावली, 2002" में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

1. (i) इन विनियमों को "किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता विनियमावली, 2002" में "पात्रता मापदंड"शीर्षक के अंतर्गत विनियम 8 में उप-खंड (iv) में मौजूदा उपबंध के पश्चात निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा:-

"इसके अलावा, नीट का परिणाम, परिणाम के घोषित किए जाने की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जो किसी अभ्यर्थी को,मेडिकल-पूर्व/भाषा पाठ्यक्रम, यदि कोई हो, जिसके पश्चात एमबीबीएस या समकक्ष मेडिकल पाठ्यक्रम किया जाए, सहित एमबीबीएस या समकक्ष मेडिकल पाठ्यक्रम में पढ़ने का हकदार बनाएगा।"

डॉ. आर. के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./577/18]

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली, नामत: "किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान में स्नाकतक-पूर्व चिकित्साप पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता विनियमावली, 2002", भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 18 फरवरी, 2002 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22 फरवरी, 2002, 16 अप्रैल, 2010 और 1 मार्च, 2018 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

**BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2019

**No. MCI-201/2019-Eligi./Gen./187276.—**In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in supersession of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002" namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution (Amendment) Regulation, 2019.

   (ii) They shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. In regulation 8 under heading "Eligibility Criteria", the following sentence shall be added in sub-clause(iv) after the existing provision in the "Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002":-

   Furthermore, the result of NEET shall be valid for a period of three (3) years from the date of declaration of result, entitling a candidate to pursue MBBS or equivalent medical course including pre-medical/language course, if any, followed by MBBS or equivalent medical course.

Dr. R.K. VATS, Secy. General.

[Advt.-III/4/Exty./577/18]

**Foot Note**:—The principal Regulations namely, "Eligibility Requirement for Taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulation, 2002" were published on 18th February, 2002 in Part III, Section 4 of the Gazette of India and amended vide Medical Council of India Notification dated the 22nd February, 2002, 16th April, 2010 and 1st March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.03.16 14:17:13 +05'30'